<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

27.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत 25.04.2026 को पीडीएस घोटाला मामले में निरंजन चन्द्र साहा एवं अन्य से संबद्ध कोलकाता, हाबरा तथा बर्धमान स्थित 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप धन शोधन अपराध से संबंधित **18.4 लाख रुपये** नकद, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जांच मुख्यतः पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा बसीरहाट पुलिस स्टेशन में घोजाडांगा एलसीएस के उप आयुक्त, सीमा शुल्क की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की, जिसमें लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं हेतु निर्धारित गेहूं के बड़े पैमाने पर अवैध अपवर्तन का आरोप लगाया गया था। उक्त प्राथमिकी में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के किए जाने का खुलासा हुआ। आरोप था कि पीडीएस गेहूं को अवैध रूप से प्राप्त किया गया, सरकारी/एफसीआई अंकनयुक्त जूट बोरों को उलटकर धोखाधड़ीपूर्वक पुनः पैक किया गया तथा घोजाडांगा एलसीएस के माध्यम से बांग्लादेश की ओर निर्यात किया गया, जिससे राजकोष को भारी हानि हुई तथा अभियुक्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। पुलिस द्वारा जांच के दौरान निरंजन चन्द्र साहा, साहाबुद्दीन एसके तथा साहिदुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है।

जांच से निर्यातकों, थोक विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं, कमीशन एजेंटों तथा अन्य सहयोगकर्ताओं की संलिप्तता वाली एक गहरी, सुव्यवस्थित आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ, जो अनेक जिलों में संचालित थी तथा जिसके अंतर्राज्यीय प्रभाव थे। लगभग 175 ट्रकों में लदे लगभग 5101.25 मीट्रिक टन पीडीएस गेहूं को विभिन्न पार्किंग स्थलों से रोककर जब्त किया गया। बड़ी संख्या में चालान, प्रेषण-पत्र, बिल, ट्रक संबंधी दस्तावेज तथा अन्य अभिलेख जब्त किए गए। इन दस्तावेजों के सत्यापन से स्थापित हुआ कि इनमें से अधिकांश कपटपूर्वक तैयार किए गए थे तथा इनमें सही वाहन संख्या, थोक विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति विवरण, जीएसटी संख्या तथा प्रामाणिक लेन-देन शृंखला जैसे आवश्यक विवरणों का अभाव था, इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से वैध व्यापार का मिथ्या आभास उत्पन्न करने हेतु जानबूझकर की गई कूट रचना की ओर संकेत करता है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान यह उजागर हुआ कि अभियुक्त संस्थाओं ने लाभार्थियों के कल्याणार्थ निर्धारित लोक वितरण प्रणाली एक लिए के अपवर्तन के गेहूं (पीडीएस) आपूर्तिकर्ताओं को गेहूं उक्त थी। अपनाई कार्यप्रणाली सुनियोजित, लाइसेंसधारी वितरकों, डीलरों तथा बिचौलियों की मिलीभगत से अनधिकृत माध्यमों द्वारा कम कीमत पर अधिप्राप्त किया गया। बड़ी मात्रा में गेहूं को आपूर्ति शृंखला से अवैध रूप से मोड़कर विभिन्न स्थानों पर एकत्र किया गया। इसके स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से अभियुक्तों ने भारतीय खाद्य निगम त (एफसीआई) था राज्य सरकार के चिह्नों वाले मूल जूट बोरों को हटा दिया अथवा उलट दिया और उन्हें पुनः भर दिया, जिससे पहचान संबंधी विशेषताओं को छिपाकर पीडीएस गेहूं को खुले बाजार में आगे विक्रय अथवा निर्यात हेतु वैध भंडार के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ तथा अपराध से अर्जित आय सृजित हुई।

पूर्व में, पीडीएस घोटाले के एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा संचालित पीडीएस योजना में पाई गई अनियमितताओं से संबंधित जांच की थी। यह जांच राज्य पुलिस द्वारा पीडीएस वस्तुओं के व्यापार हेतु अनधिकृत व्यक्तियों से पीडीएस वस्तुओं अर्थात् पीडीएस आटा, तथा धान क्रय में अनियमितताओं के संबंध में दर्ज 06 प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ की गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि राइस मिलें, अन्य आटा मिल संचालकों, सरकार द्वारा अधिकृत वितरकों, डीलरों तथा संबद्ध सहकारी समितियों की मिलीभगत से अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इन गतिविधियों में जानबूझकर वितरकों को कम मात्रा में आटा आपूर्ति कर आय का गबन करना, पुराने आटे को ताजे आटे में मिलाना तथा काल्पनिक किसानों के नाम पर कपटपूर्वक खोले गए बैंक खातों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान प्राप्त करना सम्मिलित है। जांच से उजागर हुआ है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उपर्युक्त कार्यप्रणाली अपनाकर हजारों करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की है। उक्त आय को इस मामले में संलिप्त हितधारकों के बीच बांटा गया, जिससे अवैध धन सृजन के एक तंत्रगत नेटवर्क का खुलासा हुआ। 75 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं तथा बाकिबुर रहमान एवं पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक सहित नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस मामले में मूल अभियोजन शिकायत 12.12.2023 को दाखिल की गई थी तथा तत्पश्चात विशेष पीएमएलए न्यायालय, कोलकाता के समक्ष चार पूरक अभियोजन शिकायतें दाखिल की जा चुकी हैं।

25.04.2026 को की गई तलाशी के परिणामस्वरूप **18.4 लाख रुपये** नकद जब्त किए गए तथा धन शोधन अपराध से संबंधित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए। इस मामले में 10.04.2026 को कोलकाता, बनगांव, रानीगंज, मुर्शिदाबाद तथा हाबरा स्थित 17 परिसरों पर भी तलाशी ली गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 30.9 लाख रुपये नकद के साथ धन शोधन अपराध से संबंधित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे। इस मामले में अब तक कुल नकद जब्ती **49.3 लाख** रुपये है।

आगे की जांच जारी है।